



494/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11118 /28/76/एक/2018-19

दिनांक : 26 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-अमरोहा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	916010028322187	IFSC Code UTIB0001157	350.373

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० हसनपुर	मो० होली वाला निकट सुखदेव इण्टरकॉलेज हसनपुर में बब्लू के मकान से सुखदेव इण्टर कॉलेज रोड तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	18.986	100%
2	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० हसनपुर	मो० होली वाला निकट सुखदेव इण्टरकॉलेज हसनपुर में सुरेश चन्द्र के मकान से जितेन्द्र के मकान तक एवं पंडित जी के मकान वाली गली तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	22.625	100%
3	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० हसनपुर	मो० होली वाला निकट सुखदेव इण्टरकॉलेज हसनपुर में आलोक के मकान से प्ले स्कूल तक गाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	20.552	100%
4	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० हसनपुर	मो० होली वाला निकट सुखदेव इण्टरकॉलेज हसनपुर में अशू के मकान से प्ले स्कूल वाली रोड तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	18.960	100%
5	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० हसनपुर	मो० होली वाला निकट सुखदेव इण्टरकॉलेज हसनपुर में राजू के मकान से इसरार के मकान तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	17.652	100%
6	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० हसनपुर	मो० होली वाला निकट सुखदेव इण्टरकॉलेज हसनपुर में प्रेम सिंह के मकान से कालू के मकान तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	15.961	100%

W

De



494/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-suda.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
7	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 09 मो० कटरा पश्चिम धनौरा में कोषागार कार्यालय से बलवीर के मकान होते हुए सविता के मकान तक, मुश्ताक के मकान से फौजी के मकान तक एवं राजेश के मकान से सत्यवीर के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	23.862	100%
8	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 25 धनौरा में कमलवीर सिंह के मकान से अरविन्द के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	24.369	100%
9	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 25 धनौरा में मो० इंदरीश के मकान से वसीम के मकान तक, मो० इंदरीश के मकान से डा० अनीश के मकान तक एवं डा० अन्सार के मकान से यामीन क मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	26.691	100%
10	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 25 मो० विजय नगर में कलाली रोड से हितेश के मकान तक एवं कलाली रोड से विरेन्द्र वकील के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	19.618	100%
11	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 25 मो० महादेव नगर में महेश चन्द के मकान से कलाली रोड तक व जितेन्द्र के मकान से नरेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	24.502	100%
12	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 02 मो० महादेव नगर धनौरा में दीपक यादव के मकान से कलाली रोड तक, राजीव के प्लाट से फौजी के मकान तक व होमपाल के मकान से गेन्दा के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	21.424	100%
13	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० धनौरा	वार्ड नं० 02 मो० महादेव नगर धनौरा में महेन्द्र सैनी के मकान से बब्लू सैनी के मकान तक, संजीव के मकान से गौरव के मकान तक व जयवीर के प्लाट से महेन्द्र यादव के मकान तक एवं जयवीर के प्लाट से धर्मेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स तथा नाली निर्माण कार्य।	22.563	100%
14	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 सुबोधनगर में नरेन्द्र त्यागी से अनुराग यादव के मकान तक, राजीव शर्मा से रूप सिंह के मकान तक व अनुराग यादव से मनोज कुमार के मकान से मनोज कुमार के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	9.075	100%
15	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 सुबोधनगर में विरेन्द्र नरवाल से लेखपाल राना तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	8.176	100%



494/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
16	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 सुबोधनगर में राजेन्द्र के मकान से माधोराग के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	8.621	100%
17	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 सुबोधनगर में मेन रोड से बल्लू के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	9.502	100%
18	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 मो० पुष्कर नगर में धान सिंह से सुरजमान के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	4.813	100%
19	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 सुबोधनगर ओवरब्रिज ससे मासे० सुबोधनगर की साईड तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	9.039	100%
20	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० अमरोहा	वार्ड नं० 05 मो० सुबोधनगर में विरेन्द्र के मकान से मन्दिर तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	11.593	100%
21	अमरोहा	मु०अ०-37	न०पा०प० गजरौला	वार्ड नं० 06 गजरौला में खेम सिंह के मकान से डा० चिरंजी एवं विरेन्द्र फौजी के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य।	11.789	100%
	योग				350.373	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



494/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक